उच्च न्यायालय, उत्तराखंड, नैनीताल में

प्रधान न्यायाधीश श्री वीपीन सांघी और न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र खुल्बे

hcuk.scmsc@gmail.com।आवेदन (एमसीसी/850/2019) निर्देश के लिए आवेदन (आईए/851/2021)

2017 के डब्ल्यूपी (पीआईएल) नंबर. 148 में

28 जुलाई, 2022

अजय गौतम

याचिकाकर्ता ।

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

प्रत्यर्थी(गण).....

उपस्थितिः

श्री पीयूष गर्ग, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।श्री विकास पांडे, राज्य के विद्वान स्थायी वकील।

निर्णय :(श्री विपिन सांघी, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार)

राज्य द्वारा दायर अनुपालन शपथ पत्रों को अभिलेख में लिया जाता है।इसके लिए किए गए आवेदन (2021 का आईए 852,853,854 और 2022 का 855 और 856) का तदनुसार निपटान किया जाता है।

2. राज्य द्वारा 25.07.2022 (2022 का आवेदन संख्या. 856) को अनुपालन का एक शपथ पत्र दायर किया गया है, जिस पर विचार किया गया है।जून 2022 की वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की रिपोर्ट उक्त शपथ पत्र के साथ संलग्न है और उसी पर विचार किया गया है।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में गंगोत्री हिमनद के थूथन पर कोई आसन्न खतरा नहीं है।

4. वर्तमान याचिका में जो मुद्दा उठाया गया है, वह गंगोत्री में एक झील के बनने के खतरे के बारे में है, जिससे ऐसी झील के फटने की संभावना में प्राकृतिक आपदा आ सकती है।हमारे विचार में, इस मुद्दे को गंगोत्री ग्लेशियर के थूथन पर नियमित निगरानी रखने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय की नियुक्ति के साथ संबोधित किया गया है।यह सतर्कता विशेष रूप से हर साल मई से सितंबर के महीनों के दौरान आवश्यक है, क्योंकि ये वे महीने हैं जब बर्फ पिघलती है, और मानसून की बारिश होती है, और इस घटना से पानी का अधिक प्रवाह होता है, जिससे झील में बड़ी मात्रा में पानी जमा होने का खतरा पैदा हो जाता है, जिससे इसके फटने की स्थिति में आपदा हो सकती है।5 . इसलिए, हम राज्य को यह सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ वर्तमान आवेदनों का निपटान करते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर पर पूरे वर्ष नियमित जांच हो, विशेष रूप से मई से सितंबर के महीनों के दौरान और वर्ष के अन्य महीनों के दौरान बेमौसम बारिश होने की स्थिति में भी।सैटेलाइट इमेजिंग

सहित सभी संभावित साधनों को अपनाकर आवश्यक जांच की जानी चाहिए।की गई जाँचों की रिपोर्ट को उत्तराखंड आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र की वेबसाइट पर समकालीन रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए, ताकि जनता इसे देख सके।

इन रिपोर्टों को मई से सितंबर के महीनों के दौरान हर महीने कम से कम एक बार अद्यतन किया जाना चाहिए, अग्रेतर यदि मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण कोई अग्रेतर रिपोर्ट मांगी जाती है, तो उन्हें वेबसाइट पर भी अद्यतन किया जाना चाहिए।

6. प्रतिवादी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त विशेषज्ञ निगरानी और सतर्कता बिना किसी विराम के जारी रहे।उस उद्देश्य के लिए, प्रतिवादी या तो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, या सक्षम एजेंसियों के साथ समझौता/समझौता ज्ञापन कर सकते हैं।

VI पिन संघी, C.J.

रमेश चंद्र खुल्बे, जे.

दिनांक:28 जुलाई, 2022

R.Bisht